

## कृषि मंत्रालय

## मांग संख्या 3

## पशु-पालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	984.00	62.43	1046.43	928.55	75.54	1004.09	1081.45	106.28	1187.73	
	16.00	...	16.00	11.45	...	11.45	18.55	...	18.55	
	<b>1000.00</b>	<b>62.43</b>	<b>1062.43</b>	<b>940.00</b>	<b>75.54</b>	<b>1015.54</b>	<b>1100.00</b>	<b>106.28</b>	<b>1206.28</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं पशु पालन	3451	6.00	7.57	13.57	6.00	9.40	15.40	6.00	10.00	16.00
2. पशु-विकास	3601	0.50	...	0.50	...	...	...	1.00	...	1.00
	2403	66.70	8.55	75.25	100.42	10.33	110.75	123.22	12.69	135.91
	जोड़	67.20	8.55	75.75	100.42	10.33	110.75	124.22	12.69	136.91
3. पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	3601	71.50	...	71.50	91.40	...	91.40	113.75	...	113.75
	3602	0.90	...	0.90	0.77	...	0.77	0.92	...	0.92
	2403	89.60	...	89.60	82.15	...	82.15	180.32	...	180.32
	4403	...	...	...	5.45	...	5.45	10.05	...	10.05
	जोड़	162.00	...	162.00	179.77	...	179.77	305.04	...	305.04
4. अन्य पशु-पालन कार्यक्रम										
4.01 पशुगणना के लिए राज्यों को सहायता	2403	4.00	...	4.00	0.80	...	0.80	4.62	...	4.62
	3601	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	15.79	...	15.79
	3602	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	0.20	...	0.20
	जोड़	117.00	...	117.00	113.80	...	113.80	20.61	...	20.61
4.02 दाना एवं चारा विकास	3601	7.30	...	7.30	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50
	2403	3.70	...	3.70	0.48	...	0.48	0.31	...	0.31
		11.00	...	11.00	6.98	...	6.98	6.81	...	6.81
	3601	35.67	...	35.67	15.20	...	15.20	28.17	...	28.17
	3602	0.71	...	0.71	0.22	...	0.22	0.36	...	0.36
4.03 अन्य कार्यक्रम	2403	66.42	17.19	83.61	24.22	20.89	45.11	66.55	19.86	86.41
	जोड़	102.80	17.19	119.99	39.64	20.89	60.53	95.08	19.86	114.94
जोड़-अन्य पशु-पालन कार्यक्रम		<b>230.80</b>	<b>17.19</b>	<b>247.99</b>	<b>160.42</b>	<b>20.89</b>	<b>181.31</b>	<b>122.50</b>	<b>19.86</b>	<b>142.36</b>
जोड़-पशु पालन डेरी विकास		<b>460.00</b>	<b>25.74</b>	<b>485.74</b>	<b>440.61</b>	<b>31.22</b>	<b>471.83</b>	<b>551.76</b>	<b>32.55</b>	<b>584.31</b>
5. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अनुदान										
5.01 सहकारी समितियों को सहायता	2404	6.55	...	6.55	8.55	...	8.55	8.00	...	8.00
5.02 अन्य योजनाएं	2404	36.01	...	36.01	31.01	...	31.01	33.01	...	33.01
	जोड़	42.56	...	42.56	39.56	...	39.56	41.01	...	41.01
6. दिल्ली दुग्ध योजना										
6.01 राजस्व व्यय	2404	...	319.27	319.27	...	300.01	300.01	...	393.37	393.37
6.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0404	...	-311.54	-311.54	...	-289.01	-289.01	...	-377.22	-377.22
	निवल	...	7.73	7.73	...	11.00	11.00	...	16.15	16.15
6.03 पूंजी व्यय	4404	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	1.00	7.73	8.73	1.00	11.00	12.00	1.00	16.15	17.15
7. अन्य डेरी विकास कार्यक्रम										
7.01 गहन डेरी विकास कार्यक्रम स्वच्छ दूध सहित	3601	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00	23.04	...	23.04
	3602	0.50	...	0.50	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50
	2404	20.49	...	20.49	22.99	...	22.99	22.99	...	22.99
	जोड़	44.99	...	44.99	48.09	...	48.09	46.53	...	46.53
जोड़-डेरी विकास मात्स्यिकी		<b>88.55</b>	<b>7.73</b>	<b>96.28</b>	<b>88.65</b>	<b>11.00</b>	<b>99.65</b>	<b>88.54</b>	<b>16.15</b>	<b>104.69</b>
8. समुद्री मात्स्यिकी	3601	25.00	...	25.00	29.99	...	29.99	52.00	...	52.00
	3602	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00
	2405	3.50	...	3.50	4.50	...	4.50	5.50	...	5.50
	जोड़	43.50	...	43.50	44.49	...	44.49	59.50	...	59.50

सं.3 / पशु-पालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
9. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी	3601	29.80	...	29.80	29.70	...	29.70	40.30	...	40.30
	3602	1.60	...	1.60	1.55	...	1.55	1.05	...	1.05
	2405	4.55	...	4.55	4.50	...	4.50	7.75	...	7.75
	जोड़	35.95	...	35.95	35.75	...	35.75	49.10	...	49.10
10. मत्स्य पालन संस्थाओं को सहायता										
10.01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज	2405	0.10	1.32	1.42	0.10	1.55	1.65	0.10	2.18	2.28
10.02 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट तकनीकी एवं प्रशिक्षण संस्थान	2405	1.40	3.50	4.90	1.50	4.12	5.62	1.50	4.72	6.22
	4405	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	1.90	3.50	5.40	2.00	4.12	6.12	2.00	4.72	6.72
	2405	35.00	7.67	42.67	35.00	7.33	42.33	33.50	10.11	43.61
10.03 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	4405	8.00	...	8.00	3.50	...	3.50	5.00	...	5.00
	जोड़	43.00	7.67	50.67	38.50	7.33	45.83	38.50	10.11	48.61
10.04 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग	2405	3.50	6.54	10.04	6.00	7.40	13.40	5.00	8.66	13.66
	4405	6.50	...	6.50	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	जोड़	10.00	6.54	16.54	7.00	7.40	14.40	7.00	8.66	15.66
<b>जोड़-मत्स्य पालन संस्थानों को सहायता</b>		55.00	19.03	74.03	47.60	20.40	68.00	47.60	25.67	73.27
11. अन्य मात्स्यिकी कार्यक्रम	2405	...	2.36	2.36	...	2.52	2.52	...	3.41	3.41
12. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	2405	67.00	...	67.00	38.90	...	38.90	120.00	...	120.00
13. पाकिस्तान द्वारा जब्त मत्स्य नावों का स्थानापन्न पैकेज	2405	...	...	...	...	1.00	1.00	...	18.50	18.50
<b>जोड़ मत्स्य पालन</b>		201.45	21.39	222.84	166.74	23.92	190.66	276.20	47.58	323.78
14. आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज	2403	145.48	...	145.48	145.48	...	145.48	69.38	...	69.38
	2404	3.76	...	3.76	3.76	...	3.76	0.24	...	0.24
	3601	10.76	...	10.76	10.76	...	10.76	5.38	...	5.38
	जोड़	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	75.00	...	75.00
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	84.00	...	84.00	78.00	...	78.00	102.50	...	102.50
<b>कुल जोड़</b>		<b>1000.00</b>	<b>62.43</b>	<b>1062.43</b>	<b>940.00</b>	<b>75.54</b>	<b>1015.54</b>	<b>1100.00</b>	<b>106.28</b>	<b>1206.28</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय*-</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. पशु पालन	12403	620.00	...	620.00	600.61	...	600.61	626.76	...	626.76
2. मात्स्यिकी	12405	201.45	...	201.45	166.74	...	166.74	276.20	...	276.20
3. डेरी विकास	12404	88.55	...	88.55	88.65	...	88.65	88.54	...	88.54
4. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	84.00	...	84.00	78.00	...	78.00	102.50	...	102.50
<b>जोड़</b>		<b>1000.00</b>	...	<b>1000.00</b>	<b>940.00</b>	...	<b>940.00</b>	<b>1100.00</b>	...	<b>1100.00</b>

1. इसमें पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग के सचिवालय, मुख्यालय में नेटवर्क-आधारित सूचना प्रणाली के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. यह प्रावधान पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना और केंद्रीय पशु विकास संगठनों, जिसमें सात केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान और देश में विभिन्न केंद्रों में अवस्थित पशु-यूथ पंजीकरण (हर्ड रजिस्ट्रेशन) संगठन शामिल हैं, के लिए किया गया है।

3. यह प्रावधान पशुधन स्वास्थ्य, जिसमें पशु रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता की योजना, पशु प्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना, व्यावसायिक दक्षता विकास (जिसके अधीन भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है) और पशु स्वास्थ्य महानिदेशालय, जिसमें पशु संसोध प्रमाणीकरण, केंद्रीय रोग नैदानिक

प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय पशु-चिकित्सा जैव उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र संस्थान, पशुबीमा और एविअन इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण और रोकथाम शामिल हैं, के लिए है। और तीन नई योजनाओं (अर्थात् मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण, राष्ट्रीय कीटनाशी नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पशुरोग सूचना प्रणाली।

4.01 से 4.03. यह व्यवस्था, पशुगणना, दाना और चारा उत्पादन कार्यक्रम, राज्य कुक्कुट फार्मों, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, केन्द्रीय चारा विकास संगठन, कुक्कुट विकास संगठन, संकटग्रस्त पशु प्रजननों का संरक्षण, कुक्कुट संपदा की स्थापना, सांड का बचाव और पालन-पोषण, खाद्य सुरक्षा और अनुमार्गणीयता और कुक्कुट उपक्रम पूंजी निधि उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने पर होने वाले व्यय के लिए है, प्रावधान

किया गया है मृत पशुओं का उपयोग और पशुगणना विस्तार तथा सुपुर्दगी सेवाएं, करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास, सूऊर विकास, ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण। और एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने के कारण पश्चिम बंगाल में मुर्गीपालन उद्योगों को वित्तीय राहत हेतु सांकेतिक प्रावधान।

5.01 इस योजना का लक्ष्य जिला स्तर की रुग्ण डेरी सहकारी यूनियनों, तथा राज्य स्तर के सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना है। यह योजना राज्य सरकारों के साथ 50 : 50 के अनुपात के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

5.02 इस के अंतर्गत दो नई योजनाओं अर्थात् डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी निधि तथा गुणवत्ता और शुद्ध दूध के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना के लिए प्रावधान रखा गया है।

6.01 और 6.02. यह प्रावधान आयोजना-भिन्न के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। प्रारंभिक तौर पर इस व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बजट प्रावधान से पूरा किया जाता है तथा बाद में उसी को दूध, घी आदि की बिक्री से राजस्व प्राप्ति के रूप में वापस प्राप्त किया जाता है।

6.03 इस योजना में दिल्ली दुग्ध योजना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है।

7. इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के विकास, दूध की अधिप्राप्ति/प्रसंस्करण/विपणन के लिए तकनीकी निविष्टि सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु है।

8. इस मद के अंतर्गत समुद्री मछलीपालन विकास, अवसंरचना और फसल-पशु कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों के लिए प्रावधान रखा गया है।

9. इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन और मात्स्यिकी विकास, मछुवारों, मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और डाटाबेस और सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है।

10. इसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित मात्स्यिकी संस्थानों के स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है।

11. आयोजना-भिन्न के अंतर्गत यह प्रावधान मत्स्य पालन प्राधिकरण, चेन्नई तथा दो विभागीय कैंटीनों (आई.एफ.पी. एवं सी.आई.एफ.एन.ई.टी.) स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इस प्रावधान में पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य आयोग तथा अन्य के लिए भारत का अंशदान भी शामिल है।

12. यह प्रावधान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के लिए है।

13. यह प्रावधान पाकिस्तान द्वारा जब्त कर लिए गए मात्स्यिकी जलयानों के प्रतिस्थापन पैकेज के लिए है।

14. इसमें देश के 31 आत्महत्या संभावित जिलों के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अधिक दूध देने वाले पशुओं, बछड़ों के पालन कार्यक्रम, मवेशी/भैंस प्रजनन और दाना एवं चारा पूर्ति कार्यक्रम के प्रचालन के लिए व्यवस्था करने हेतु विशेष पैकेज का प्रावधान है।

15. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।